न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 465/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मलाराम पुत्र पन्नाराम कुम्हार निवासी– चण्डालिया तहसील तिवंरी जिला जोधपुर।		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिवंरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा कमांक कोर्ट/2021/485 अनवान ग्राम पंचायत चण्डालिया बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 25.11.21 के विरूद्ध पेश की गई।

उपस्थितिः–

1– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 24 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त मे तथ्य इसप्रकार है कि प्रत्यर्थी तहसीलदार तिवंरी के द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया कि ग्राम चण्डालिया के ख0सं0 198 रकबा 2.5171 हैक्टर भूमि में से 0.0324 हैक्टर भूमि व अन्य खसरान की खातेदारी की रकबा भूमि ख0सं0 198, 201/1, 204/1, 202/2, 211/1, 209/1 रकबा भूमि में से दर्शाये गये रकबा अनुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तहसीलदार तिवंरी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के खसरे में कोई रास्ता नहीं होते हुए भी खसरे के पश्चिम दिशा में से सरासर गलत तरीके से रास्ता निकालने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

वकील पक्षकारान उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 136 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 नियम 1957 के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए तहसीलदार तिवंरी के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट की भूमि पर गैर मुमकीन रास्ते में राजस रेकर्ड नक्शा, ट्रेस में दुरूस्ती एवं अमल दरामद करने का आदेश आलौच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांट को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार, तिवंरी को भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 में अपीलान्टस की सुनवाई किये बिना उक्त प्रकरण दर्ज करने का

कानूनी अधिकार नहीं था। धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है एवं धारा 131 में नक्शें में दुरुस्ती के प्रावधान है जबकि राजस्व रेकर्ड में ऐसी कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं थी जिसके जरिये अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज की जावें। अधिनस्थ न्यायालय को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के ख0सं0 193 के रकबा 2.5171 हैक्टर में से 0.0324 हैक्टर भूमि को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राज0 सरकार के राजस्व ग्रुप–6 के परिपत्र दिनाक 30.09.2021 को राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित नहीं पढा जा सकता है। खातेदार को रास्ता देने का प्रावधान राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 व 251–ए के तहत ही दिया जा सकता है। राजस्व कार्मिकों द्वारा सरपंच के दवाब में आकर सरासर गलत रिपोर्ट तैयार उसके खसरान के पश्चिम दिशा में रास्ते के रूप में दर्शा कर खातेदारी दर्ज कर दी। जबकि अपीलान्ट के अलावा अन्य खातेदारों के पास आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा अपनी मनमर्जी से उक्त रास्ते की रिपोर्ट राजस्व अभियान कैम्प बालरवा में दिनांक 10.11.2021 को पेश कर ग्राम बिंजवाडिया में शिविर प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट पेश कर दी। जिसमें पंचायत समिति तिंवरी के शिविर प्रभारी को रिपोर्ट नहीं होकर शिविर प्रभारी, पंचायत समिति ओसियॉ को पेश कर आदेश पारित करवाया गया और आदेश में शिविर प्रभारी, पंचायत समिति ओसियॉ का अंकन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि नियमानुसार हल्का पटवारी ग्राम पंचायत चण्डालिया के रास्ते की रिपोर्ट अन्य ग्राम बालरवा में शिविर में प्रस्तुत करवाई गई, मौके पर न तो पटवारी गये व न ही तहसीलदार। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा ख0सं0 198 की जमाबन्दी में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज की गई ख0सं0 331/198 की भूमि का इन्द्राज हटाये जाने के आदेश दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप होने से उक्त इन्द्राज हटाया जाकर भूमि को पुनः अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाये गये अभियानो मे जारी किये गये दिशा निर्देशो जिनमे ऐसे कदीमी रास्ते जो वर्षो से रास्ते के रूप मे सार्वजनिक उपयोग मे लिये जा रहे है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे अंकन नही है उनका सर्वे करवाकर ऐसे रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने के कम मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार तिंवरी की ओर से आदेश में वर्णित भूमि मे चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने उनके समक्ष ...

संभागीय आयुक्त जोधपुर

आदेश दिनांक 25.11.2021 को पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील का खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय, प्राप्त रिपोर्ट आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। तहसीलदार, तिवंरी द्वारा दिनांक 28.10.2022 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार "मौके पर ख0सं0 200 व 330/198 के मध्य रास्ता 331/198 चालू है। यह रास्ता उपखण्ड अधिकारी के आदेश कमांक कोर्ट/2021/485 दिनांक 25.11.2021 की पालना में खसरा संख्या 198 में से कटाण किया गया है। उक्त रास्ता मौके पर सही जगह ख0सं0 198 में ही कटाण किया गया है। रास्ता ख0सं0 200 में से नहीं कटा है तथा मौके पर रास्ता ख0सं0 200 में नहीं चलता है। राजस्व नक्शें व मौके की स्थिति अनुसार रास्ता ख0सं0 198 में कटा हुआ है तथा ख0सं0 198 में से ही चल रहा है।" उक्तानुसार तहसीलदार तिवंरी की रिपोर्ट अनुसार चूंकि रास्ता ख0सं0 198 में से ही कटा हुआ है एवं ख0सं0 198 में से ही वर्तमान मे चल रहा है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 में हस्तक्षेप की गुजांइश नहीं रहती है।

अतः उपरोक्त सम्पस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर